प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
/9/25	वकील वादी उप० । बहस वाद पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 29/9/25 को पेश हो।	
29/9/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8/10/25 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
8/10/25	वकील वादी उप० पत्रावली वास्ते आदेश दि० 27/10/25 को पेश हो।	
27/10/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी वाद-पत्र मे अंकित तथ्यो को सिद्ध करने मे असफल होने व रेकार्ड संशोधन की आवश्यकता नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। ~~पत्रावली के~~ विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। फाइल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील जिम्मावार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
490/दावा/2014	09.09.2014	27.10.2025

पुष्पा बाई आयु 55 वर्ष धर्मपत्नि श्री भैरूलाल जाति खारोल निवासी लीलेडा चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी

वादिनी

बनाम

1. अनिरूध्द सिंह आयु बालिग आत्मज राजेन्द्र सिंह जाति चारण निवासी माणिक भवन गुमानपुरा कोटा जिला कोटा
2. उज्जवल (सज्जन) धर्मपत्नि अनिरूध्द सिंह जाति चारण निवासी माणिक भवन गुमानपुरा कोटा जिला कोटा राज.
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तालेडा जिला बुन्दी

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादिनी :– श्री मुकेश शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी :–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट

वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी के खातेदारी की भूमि ग्राम लीलेडा चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी की मूल खसरा संख्या 247/2/1 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं. 248/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा की खातेदार वादिनी रही है और उसी रूप मे काबिज रही है। वादिनी ने आराजी खसरा संख्या 247/2/1 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं. 248/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भुमि का बैचाननामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में पंजीकृत कराया था। जिसके आधार पर खरीदारान् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते में खरीद की गई भुमि का इन्द्राज हो गया है जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खरीद की गई, उसके नम्बर 508/247 रकबा 17 बिस्वा व खसरा सख्या 509/248 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खरीद की गई भूमि जिसके नम्बर 508/247 व 509/248 कायम हुए है पर ही काबिज रहने का अधिकार है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा सख्या 508/247/1 रकबा 7 बिस्वा कायम हुआ है यह खसरा नम्बर राजस्व रिकोर्ड में भारत सरकार द्वारा अवाप्त होने पर भारत सरकार के अंकित हो गया हैं । इस प्रकार से मूल खसरा संख्या 508/247 का रकबा मात्र 10 बिस्वा रह गया। वादिनी द्वारा मूल खसरा संख्या 247/2/1 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा भूमि मे से 17 बिस्वा भूमि का बैचान किया है इस प्रकार से वादिनी आराजी खसरा संख्या 247/2/1 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा भूमि मे से बैचान की गई भुमि के बाद से शेष रही भूमि 10 बिस्वा भूमि की खातेदार है और इस 10 बिस्वा भूमि पर काबिज रहने का अधिकार है आराजी खसरा संख्या 247/2/1 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा भूमि मे से बेचान की गई 17 बिस्वा भुमि कम करने के पश्चात शेष 10 बिस्वा भुमि वादिनी के खाते मे अंकित रहना चाहिए लेकिन राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो की असावधानी व त्रुटि से मात्र 5 बिस्वा भुमि वादिनी की खाते मे अंकित की गई है जिसका नम्बर 552/247 कायम किया गया है। मूल खसरा नंम्बर 247/2/1 की भूमि मे से 03 बिस्वा भूमि भारत सरकार द्वारा अवाप्त करने पर भारत सरकार के खाते दर्ज हो गयी है जिसका नम्बर 457/247/1 रकबा 3 बिस्वा कायम हुआ हैं इस 03 बिस्वा को कम करने के पश्चात राजस्व रिकार्ड मे वादिनी के खाते में 7 बिस्वा अंकित की जानी चाहिए लेकिन वादिनी के खाते में मात्र 05 बिस्वा वादिनी के खाते में अंकित की गई है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को राजस्व रिकार्ड मे अंकित वादिनी के खाते मे दर्ज आराजी खसरा संख्या 552/247 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 556/455 रकबा 10 बिस्वा, खसरा सख्या 557/455 रकबा 05 बिस्वा पर काबिज रहने का कोई अधिकार नही है । इस उपरांत भी प्रतिवादी संख्या 2 अपने प्रतिनिधी द्वारा वादिनी के खाते की भूमि पर आये दिन अतिक्रमण करते रहते है और व्यवधान उत्पन्न करते है । वादिनी के प्रतिनिधी मना करते है तो मौखिक रूप से कहते है कि वादिनी को वादिनी के खाते की भूमि से बेदखल कर देगें। वादिनी अत्यन्त गरीब है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रभावशाली व साथ मे सम्पन्न व्यक्ति है। ऐसी परिस्थिति में वादिनी को अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु तुरन्त दावा करना आवश्यक हो गया है । वादिनी वर्तमान समय मे कानूनी रूप से आराजी खसरा

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 552/247 रकबा 07 बिस्वा की खातेदार है और उसी रूप में काबिज रहने का अधिकार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादिनी के इस अधिकार को नकारते है और जबर्दस्ती जमीन पर कब्जा करने की धमकी देते है । वाद पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये है इस आधार पर वादिनी को राजस्व रिकार्ड सही करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है तथा इस आशय की घोषणा करवाने का भी अधिकार तथा विधि के अनुसार सीमांकन करवाने का अधिकार है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादिनी के हक मे प्रतिवादीगण की जात व जायदाद के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय हर्ज खर्च फरमायी जावे कि आराजी खसरा संख्या 552/247 रकबा 05 बिस्वा के स्थान पर 07 बिस्वा अंकित फरमाया जावे और उसी प्रकार से नक्शे मे संशोधन किया जावे । प्रतिवादी संख्या 1. व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबदं फरमाया जावे कि वादिनी के खाते की भुमि खसरा संख्या 552/247 रकबा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 556/455 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 557/455 रकबा 05 बिस्वा ग्राम लीलेड़ा चारणान की भुमि पर वादिनी के खातेदार के रूप मे काबिज रहने, भूमि का उपयोग उपभोग करने में कोई रूकावट पैदा नहीं करे, जमीन पर कब्जा कर ले तो कब्जा दिलाया जावे । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खरीद की गई भुमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर गतिविधियां नही करे ।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध दिनांक 5.5.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी की। प्रतिवादी सं0 2 को बार बार कई अवसर प्रदान करने पर भी जवाब दावा प्रस्तुत नही करने से प्रतिवादी सं0 2 का जवाब बन्द किया गया।

वकील वादी द्वारा वादिनी का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी खाता सं0 72 लीलेडा चारणान संवत 2067 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी खाता सं0 4 वाके ग्राम लीलेडा चारणान संवत 2067–70 प्रदर्श–2, छायाप्रति नक्शा ट्रेस वाके ग्राम लीलेडा चारणान प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी खाता सं0 79 वाके ग्राम लीलेडाचारणान संवत 2076 प्रदर्श –4, भू–नक्शा ख.सं. 556/455 वाके ग्राम लीलेडा चारणान प्रदर्श–5 अंकित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सूनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादिनी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है , जिन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे एवं आराजी ख0सं0 552/247 रकबा 5 बिस्वा के स्थान पर 07 बिस्वा अंकित फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अवगत कराया कि वादिनी की कुल भूमि 3 बीघा 5 बिस्वा थी । उक्त भूमि में से वादिनी ने 2 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 1 व 2 को बेचान कर दिये जाने से वादिनी के पास 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि शेष रही उक्त शेष भूमि में से 5 बिस्वा भूमि न्याया0 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बून्दी के आदेश से सिवायचक दर्ज रेकार्ड करने पर 1 बीघा भूमि वादिनी के पास शेष रही जिसमें से वादिनी स्वयं द्वारा आवेदन कर 10 बिस्वा भूमि गै0मु0 आबादी मे वादीनी के खाते में दर्ज रेकार्ड है शेष 10 बिस्वा भूमि में से 3 बिस्वा भूमि सडक परिवहन एवं राजमार्ग के खाते दर्ज रेकार्ड की गई थी। अब वादिनी के खाते में 10 बिस्वा भूमि गै0मु0 आबादी के रूप में एवं 7 बिस्वा भूमि कमश बारानी एवं बंजड शेष है, वर्तमान जमाबन्दी खाता सं0 79 ख0सं0 556/455 रकबा 0.0809 हैक्टे0 गै0मु0आबादी, ख0सं0 557/455 रकबा 0.0405 हैक्टे0 बारानी 3, ख0सं0 593/452 रकबा 0.0162 बंजड दर्ज रेकार्ड है जो कि कुल 0.1376 हैक्टेयर अथवा 17 बिस्वा भूमि है उक्तानुसार वादिनी के खाते मे पूर्ण भूमि दर्ज रेकार्ड होने से किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नही है वादिनी का वाद खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादिनी के कथनानुसार वादिनी के खाते मे दर्ज भूमि एवं वादिनी द्वारा वांछित अनुतोष अनुसार पूर्ण रकबा दर्ज रेकार्ड होने से किसी प्रकार के संशोधन एवं परिवर्तन की कोई आवश्यता प्रतीत नही होती है ना ही वादिनी की भूमि प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा अतिक्रमण किये जाने का कोई साक्ष्य दस्तावेज वादिनी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादिनी की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः वादिनी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को प्रमाणित करने में असफल रहने एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत वाछित अनुतोष हेतु वादिनी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड में किसी प्रकार की भिन्नता प्रमाणित नही होने से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः वादिनी वाद पत्र में अंकित तथ्यो को सिद्व करने मे असफल होने एवं वादिनी के खातेदारी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता सं0 79 ख0सं0 556/455 रकबा 0.0809 हैक्टे0 गै0मु0आबादी, ख0सं0 557/455 रकबा 0.0405 हैक्टे0 बारानी 3, ख0सं0 593/452 रकबा 0.0162 बंजड दर्ज रेकार्ड है जो कि कुल 0.1376 हैक्टेयर अथवा 17 बिस्वा भूमि है उक्तानुसार वादिनी के खाते मे पूर्ण भूमि दर्ज रेकार्ड होने के कारण किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नही होने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner